

डाईल नंबर
अधिकार का

य उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

2/155/2022

तारीख रज्

बनाम
शाहबुददीन खा

जयप्रकाश वगेरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
21.06.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खंसरा नं. 55, 67/613, वाके ग्राम भांवर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 08.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) कठूमर (अलवर)</p> <p>8/7/22 वकील को रोकने पर P.O. वाक्य अलवर जिला अलवर कार्यालय दिनांक 14/7/22 को देस हो।</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p>पत्रावली अहकाम के साथ पेश हुआ व मूल जमाना उपर जयें ना पत्रावली को Not Press कर दिया है व डापने जमाना पत्रावली के अंतर्गत मालाना व बी-वही है अतः जमाना पत्र वकील जमाना के Not Press कर वकील जमाना वही है पत्रावली में मूल रूप से अहकाम के साथ पेश हुआ उपखण्ड अधिकारी</p>	<p>Not Pressed 8/7/22</p>